

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

17 DEC 2021

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक:

— : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 08 जिलों (अलवर, बूंदी, जयपुर, जालौर, नागौर, राजसमंद, सिरोही एवं टोंक) की 08 नगरीय निकायों में उप चुनाव माह दिसम्बर, 2021 में करवाये जा रहे हैं (प्रति संलग्न)। अतः मतदान दिवस दिनांक 21.12.2021 (मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(डॉ. हर सहारा मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email-secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:-एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/पार्ट-II/2021/ 6512

दिनांक 17.12.21

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) अलवर, बूंदी, जयपुर, जालौर, नागौर, राजसमंद, सिरोही एवं टोंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन) 21.12.2021
उपसचिव
राज्य निर्वाचन आयोग